न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 14/2021

प्रार्थीगणः–

1. जोगाराम पुत्र पोकरराम जाति चौधरी निवासी पातो का बाडा
2. पोलाराम पुत्र पोकरराम जाति चौधरी निवासी पातो का बाडा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. शकूर खां पुत्र जमाल खां
2. मेहरदीन पुत्र जमाल खां
3. इब्राहिम खां पुत्र जमाल खां सभी जाति मुसलमान निवासी पातो का बाडा हाल मडिया रोड पाली
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री कपिल श्रीमाली प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विप्रार्थीगण 1 ता 3

::आदेश::

दिनांकः–01.02.2021

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि सरहद मौजा पातो का बाडा तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 337/93 रकबा 31.05 बीघा की भूमि किस्म मगरा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पडौस मे ही बदिशा दक्षिण में विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत की भूमि खसरा संख्या 338/93 रकबा 35 .02 बीघा की भूमि आई हुई है, विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत की भूमि एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की भूमि पूर्व में एक ही खसरे की भूमि थी जिसका मूल खसरा 93 रकबा 66–07 बीघा था जिसमें से 35 बीघा 02 बीघा की भूमि विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी एंव पूर्वज जमाल खां द्वारा उपरोक्त भूमि गफुर खां वल्द मेहताब जी से खरीद की थी जिस पर वर्तमान मे विप्रार्थीगण बाद फौतगी जमाल खां के बतौर वारिस काबिज है तथा शेष भूमि प्रार्थीगण द्वारा गफूर खां से खरीद की थी यानि की खसरा संख्या 338/93 मौके पर [illegible] उत्तर में स्थित था तथा जिसके बदिशा दक्षिण में प्रार्थीगण के खातेदारी खेत [illegible] स्थित थी तथा इसी माफिक प्रार्थी व विप्रार्थीगण मौके पर काबिज है जिसके मध्य खेत की मोठ व उस [illegible]–बडे वृक्ष खडे है। जिसको और स्पष्ट करने के लिए संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट [illegible] पेश है। मौके पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के उपरोक्त माफिक कब्जे के मौके पर काबिज होने एवं काश्त किये जाते रहने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश एवं न्यायालय से प्राप्त किसी डिक्री के बिना प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:36:20 IST
Reason: SelfAttested

व विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत की भूमि को गलत तरिके से राजस्व नक्शें मे तरमीम कर दी जिसमें खते खसरा संख्या 338 /93 को पश्चिमी ओर एवं खसरा संख्या 337/93 को पूर्वी ओर दर्शा दिया गया जबकि मौके पर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण उत्तर व दक्षिण दिशा में दो हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा हाल ही में अपने खातेदारी खेत की भूमि की पैमाईश किये जाने हेतु राजस्व नक्शे की नकल प्राप्त की थी जो दिनांक 05.01.2021 को प्राप्त होने पर राजस्व नक्शें में गलत तरीके से की गई तरमीम की जानकारी प्रथम बार हुई है। अतः उक्त तरमीम को प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार सुदा किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर तहसीलदार समदडी से मौके रिपोर्ट चाही गई।

विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा इकबाली जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रार्थीगण के माफिक प्रार्थना नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुरूप राजस्व रेकर्ड के नक्शे में प्रार्थी एवं हम विप्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो इससे विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को कोई आपत्ति नहीं है तहसीलदार समदडी द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2021/1668 दिनांक 01.02.2021 के द्वारा जवाव प्रस्तुत किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता के एक पक्षीय बहस सुनी। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा माफिक इस्तदुआ नजरी नक्शा के सलंग्न परिशिष्ट 'अ' अनुरूप राजस्व रेकर्ड के नक्शे में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया। बाद अवलोकन यह तथ्य सामने आया सरहद मौजा पातो का बाडा तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 93 रकबा 66.07 बीघा वर्तमान में दो टुकडो मे विभाजित है। खसरा संख्या 337/93 रकबा 31.05 बीघा किस्म मगरा प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई तथा खसरा संख्या 338/93 रकबा 35.02 बीघा में किस्म मगरा विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हुई। बेचान दस्तावेज अनुसार म[illegible] संख्या 93 रकबा 66.07 बीघा में से उत्तर दिशा 35.02 बीघा [illegible] किया जाना [illegible] है। लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा उक्त खसरा पश्चिम दिशा की तरफ [illegible] कर दिया गया है। जो गलत है। मौके पर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण दोनो माफिक प्रार्थना पत्र के संलग्न माफिक परिशिष्ठ 'अ' अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:36:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.अ. स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पातो का बाडा के खेत खसरा सख्या 338/93 व 337/93 का प्रार्थना पत्र के सलंग्न परिशिष्ठि 'अ' अनुसार तरमीम सुद किया जाने का आदेश दिया जाता है। परिशिष्ठ 'अ' उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चो पक्षकारन अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को खुले न्यायालय में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:36:20 IST
Reason: SelfAttested